विषय सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन	..	vii
कार्यकारी सारांश	..	ix
प्रथम अध्याय : विहंगावलोकन		
राज्य का पार्श्व दृश्य	1.1	1
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण	1.2	3
प्रतिवेदन संरचना	1.3	4
शासकीय लेखों का संरचना और बजटीय प्रक्रिया का विहंगावलोकन	1.4	4
बजटीय प्रक्रियायें	1.5	6
वित्त का आशुचित्र	1.5.1	7
शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों का आशुचित्र	1.5.2	7
राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.6	8
राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमों का अनुपालन	1.6.1	8
वर्ष 2021–22 के दौरान सीजीएफआरबीएम अधिनियम के तहत किए गए खुलासे	1.6.2	10
घाटा/आधिक्य	1.6.3	11
घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ	1.6.4	12
राज्य वित्त आयोग	1.7	13
लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण	1.8	15
लेखापरीक्षा के बाद–घाटा/आधिक्य	1.8.1	15
लेखा परीक्षा के बाद–कुल ऋण/दायित्व	1.8.2	15
द्वितीय अध्याय : राज्य शासन के वित्त		
प्रस्तावना	2.1	17
निधियों के स्रोत और उपयोग	2.2	17
राज्य के संसाधन	2.3	19
राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	19
राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	20
राजस्व प्राप्तियाँ के प्रवृत्ति और वृद्धि	2.3.2.1	20
राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.3	22
स्वयं के कर राजस्व	2.3.3.1	22
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	2.3.3.2	24
करेत्तर राजस्व	2.3.3.3	24
केंद्र से निधियों का हस्तांतरण	2.3.3.4	25
भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.3.5	26
पंद्रहवे वित्त आयोग अनुदान	2.3.3.6	27
पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियाँ	2.3.3.7	28
संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	29
संसाधनो का उपयोग	2.4	29
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	2.4.1	29
राजस्व व्यय	2.4.2	32
राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.2.1	34
प्रतिबद्ध एवं गैर–प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	35
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अनिर्धारित देयता	2.4.2.3	37
राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	2.4.2.4	38

	कंडिका	पृष्ठ
पूँजीगत व्यय	2.4.3	39
पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.3.1	39
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.3.2	40
अपूर्ण परियोजनाओं में पूँजी अवरूद्ध	2.4.3.3	42
व्यय प्राथमिकताएं	2.4.4	43
उद्देश्य शीर्ष वार व्यय	2.4.5	44
लोक लेखा	2.5	46
शुद्ध लोक लेखा	2.5.1	46
आरक्षित निधि	2.5.2	47
संचित निक्षेप निधि	2.5.2.1	48
राज्य आपदा राहत निधि	2.5.2.2	48
प्रत्याभूति मोचन निधि	2.5.2.3	49
ऋण प्रबंधन	2.6	49
ऋण घटक का रूपरेखा	2.6.1	50
राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण संरचना	2.6.2	52
ऋण की रूपरेखाः परिपक्वता और अदायगी	2.6.3	53
ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.7	54
आगामी वर्षों में अदायगी के लिए बकाया लोक ऋण की प्रवृत्ति	2.7.1	56
उधार ली गई निधि का उपयोग	2.7.2	58
प्रत्याभूति (गारंटी) – आकस्मिक देयताएँ	2.7.3	59
रोकड़ शेष की प्रबंधन	2.7.4	60
निष्कर्ष	2.8	62
अनुशंसाएं	2.9	63
तृतीय अध्याय : बजटीय प्रबंधन		
प्रस्तावना	3.1	65
बजट तैयार करने की प्रक्रिया	3.2	65
वित्तीय जबाबदेही और बजट की समीक्षा	3.3	66
जेण्डर बजट	3.3.1	66
युवा बजट	3.3.2	66
कृषि बजट	3.3.3	67
मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाएं	3.3.4	67
विनियोग लेखा	3.4	67
विनियोग लेखों का सारांश	3.4.1	68
बजटीय निधि का उप–युक्ततम उपयोग	3.4.2	68
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की अखंडता पर टिप्पणियाँ	3.5	69
राजस्व व्यय के रूप मे पूँजीगत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरणं	3.5.1	69
अनावश्यक एवं अत्याधिक अनुपूरक अनुदान	3.5.2	70
अनावश्यक एवं अत्याधिक पुनिर्विनियोग	3.5.3	72
उप–शीर्षो के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया	3.5.4	72
बृहद बचत/समर्पण	3.5.5	73
बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण व्याख्या	3.5.6	74
अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण	3.5.7	75
व्यय की अतिवेग	3.6	77
डी.डी.ओ. खातों की स्थिति	3.7	78
चयनित अनुदान की समीक्षा	3.8	78

	कंडिका	पृष्ठ
अनुदान सं. 03– पुलिस	3.8.1	79
बजट और व्यय	3.8.1.1	79
अविवेकपूर्ण बजट प्रस्ताव	3.8.1.2	79
बचत का समर्पण	3.8.1.3	80
योजनाओं के तहत अनावश्यक पूरक अनुदान और बाद में समर्पण	3.8.1.4	80
योजना शीर्षों के तहत निरंतर बचत	3.8.1.5	80
2021–22 के दौरान बजट प्रावधान का उपयोग न होना	3.8.1.6	81
विभागीय व्यय के आंकड़ों के मिलान पर	3.8.1.7	81
व्यय की अतिवेग	3.8.1.8	82
अनुदान सं. 30– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	3.8.2	83
बजट और व्यय	3.8.2.1	83
वर्ष 2021–22 के दौरान बजट प्रावधान का उपयोग न होना	3.8.2.2	83
योजना शीर्षों के तहत निरंतर बचत	3.8.2.3	84
व्यय की अतिवेग	3.8.2.4	86
पूर्ण/संपूर्ण बजट प्रावधान का समर्पण	3.8.2.5	87
निधियों का ब्लॉक	3.8.2.6	87
निष्कर्ष	3.9	88
अनुशंसाएं	3.10	88
चतुर्थ अध्याय : लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता		
प्रस्तावना	4.1	89
उपयोगिता प्रमाणपत्रों की देयता में विलंब	4.2	89
लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक	4.3	89
लेखाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता	4.4	91
उचंत एवं ऋण जमा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.5	91
व्यक्तिगत जमा खातें	4.6	92
व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई भूमि अधिग्रहण से संबंधित निधियाँ	4.6.1	93
असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते	4.6.2	94
केन्द्रीय सड़क निधि से संबंधित लेन–देन के लेखाएँ	4.7	94
अधोसंरचना विकास कोष	4.7.1	95
पर्यावरण कोष	4.7.2	95
राज्य के लोक लेखों से बाहर की निधि	4.8	95
श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग	4.8.1	96
लघु शीष–800 में समायोजन	4.9	97
लघु शीर्ष – 800 के अंतर्गत बुकिंग – ₹50 करोड़ रुपये से अधिक के लिए अन्य प्राप्तियां	4.9.1	99
लघु शीष–800–अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत रायल्टी की बुकिंग	4.9.2	99
विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जाना	4.10	100
रोकड़ शेष का मिलान	4.11	101
भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.12	102
स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की स्थिति	4.13	102
हानि तथा गबन आदि के मामले	4.14	103
ऑफ बजट उधार	4.15	103
सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियां	4.16	105
एकल नोडल खातें	4.17	105
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.18	107
निष्कर्ष	4.19	107

	कंडिका	पृष्ठ
अनुशंसाएं	4.20	107
पंचम अध्याय : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन		
प्रस्तावना	5.1	109
सरकारी कम्पनियों/निगमों की परिभाषा	5.2	109
लेखापरीक्षा अधिदेश	5.3	109
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान	5.4	110
सरकारी कम्पनियों और निगमों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.5	110
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता	5.6	111
इक्विटी होल्डिंग एवं ऋण	5.6.1	111
सम्पत्तियों की पर्याप्तता	5.6.2	112
केंद्र/राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी, अनुदान पर सूचना	5.6.3	112
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिफल	5.7	113
पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ	5.7.1	113
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भुगतान किया गया लाभांश	5.7.2	113
ऋण का भुगतान	5.8	114
ब्याज कवरेज अनुपात	5.8.1	114
बिजली उत्पादन कंपनियों को सीएसपीडीसीएल का बकाया	5.8.2	115
सरकारी कम्पनियों की परिचालन क्षमता	5.9	115
अर्जित लाभ (परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से प्रतिवेदित लाभ का विश्लेषण)	5.9.1	115
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	5.9.2	116
निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर	5.9.3	116
निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल	5.9.4	117
हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5.10	118
वहन की गयी हानियाँ	5.10.1	118
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी का क्षरण	5.10.2	119
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका	5.11	120
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.11.1	120
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.11.2	120
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5.12	121
समय पर प्रस्तुतीकरण की आवष्यकता	5.12.1	121
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखें तैयार करने की समयबद्धता	5.12.2	121
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निगरानी– लेखों की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13	122
वित्तीय रिपोर्टिंग रुपरेखा	5.13.1	122
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13.2	122
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका के परिणाम	5.14	122
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेंत्र के उपक्रमों के लेखों की लेखापरीक्षा	5.14.1	122
सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन के पूरक के रुप में जारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ	5.14.2	123
लेखामानकों/भारतीय लेखा मानको के प्रावधानो का अनुपालन न करना	5.15	125
प्रबंधन पत्र	5.16	126
निष्कर्ष	5.17	126
अनुशंसाएं	5.18	127

विषय सूची		
परिशिष्ट का नाम	**परिशिष्ट**	**पृष्ठ**
राज्य की रूपरेखा	1.1	129
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	2.1	130
वर्ष 2021–22 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित है	3.1	132
वर्ष 2021–22 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है	3.2	133
मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाओं का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹1 करोड़ या अधिक) जहाँ संपूर्ण अनुदान का उपयोग नही हुआ	3.3	135
मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	3.4	136
उप शीर्ष की सूची जहाँ कुल बजट प्रावधान का उपयोग नही हुआ (₹10 करोड़ और अधिक)	3.5	137
वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹100 करोड़ से अधिक)	3.6	140
वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹500 करोड़ से अधिक)	3.7	142
माह मार्च के अंत में समर्पण की राशि (₹10 करोड़) अधिक का विवरण	3.8	143
उप शीर्ष जहाँ विनियोग लेखे में विचलन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है	3.9	145
वर्ष 2000–01 से 2020–21 के लिए प्रावधान के ऊपर आधिक्य व्यय	3.10	147
वर्ष 2021–22 में मुख्य शीर्ष का विवरण जहाँ आधिक्य हुआ	3.11	148
बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति	4.1	149
31 जनवरी 2021 तक की लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों का विवरण	4.2	150
लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार प्राप्तियों का विवरण	4.3	151
लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार व्ययों का विवरण	4.4	153
पीएसयूज जिनके लेखे 30 सितम्बर 2022 की स्थिति में तीन अथवा अधिक वर्षों के लिए बकाया थे, की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	5.1	154
30 सितम्बर 2022 की स्थिति में पीएसयूज के खातों को अंतिम रूप देने में बकाया दर्शाने वाला विवरण पत्रक	5.1(ब)	155
31 मार्च 2022 की स्थिति में राज्य के पीएसयूज से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	5.2	157
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ की सूचना	5.3	161